150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर

इन्दिरा गांधी नहर मण्डल भवन, डॉ. भीमराव अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, ज्योति नगर मोड, जयपुर-302005 (राज0)

क्रमांकः— प.नियुक्ति / क.स. / स्था–3 / मुअजसं / 2020 / 1202 दिनांकः— 03·06·2020

सूचना

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के अनुसरण में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से प्रशासनिक सुधार (अनु0–3) विभाग, जयपुर के पत्रांक प.1(1)प्र.सु/ अनु–3/2020 दिनांक 16.05.2020 द्वारा इस विभाग को नियुक्ति हेतु आवंटित अभ्यर्थियों में से **पति–पत्नी प्रकरण/शहीद परिवार का आश्रित/माता–पिता अथवा पति–पत्नी के असाध्य रोग से संबंधित अभ्यर्थियों** की व्यक्तिशः काउन्सलिंग हेतु निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता हैः–

दस्तावेजो की सूचीः–

1. चयनित अभ्यर्थियों में से पति–पत्नी होने पर विवाह पंजीकरण प्रमाण–पत्र/विवाह पंजीकरण प्रमाण–पत्र नही होने पर नोटरी से सत्यापित प्रमाण–पत्र।
2. पति–पत्नी में से पूर्व से राज्य सेवा/राजकीय विभाग/सार्वजनिक निगम/बोर्ड/उपक्रम में पदस्थापित हो तो उसका कार्यालयाध्यक्ष द्वारा संलग्न प्रारूप में प्रमाण–पत्र मय गत माह के वेतन की पे–स्लिप।
3. अभ्यर्थी के शहीद परिवार का आश्रित होने पर उसका सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।
4. चयनित अभ्यर्थी के माता–पिता अथवा पति–पत्नी असाध्य रोग से (ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट सर्जरी) से ग्रसित हो तो उसका मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त असाध्य रोग से संबंधित प्रमाण–पत्र।

उपरोक्त सूचना से विभाग को व्यक्तिशः **कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर इन्दिरा गांधी नहर मण्डल भवन, डॉ. भीमराव अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, ज्योति नगर मोड, जयपुर के कमरा नम्बर. 81–ए में श्री भूपेन्द्र सिंह राठौड, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (मोबाइल नम्बर– 9460636232)** से सम्पर्क कर उपलब्ध करवायेगें एवं प्राप्ति रसीद प्राप्त करेगें अथवा ई–मेल (seadmn.cewr@gmail.com) पर दिनांक 09.06.2020 तक सांयः 5:00 बजे से पूर्व उपलब्ध करानी होगी। उक्त दिनांक के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई विचार नही किया जावेगा।

(असीम मार्कण्डेय)
मुख्य अभियन्ता ,
जल संसाधन विभाग,
राजस्थान,जयपुर

Scanned with CamScanner

पति/पत्नी के राज्य सेवा का प्रमाण–पत्र

कार्यालय का नामः–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति..पत्नी/पति श्री/श्रीमति.....................................इस विभाग/कार्यालय के तहत नियमित राज्य कर्मचारी के रूप में आदिनांक की स्थिति में कार्यरत है।

दिनांकः–

हस्ताक्षर मय मोहर

Scanned with CamScanner